


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 5207-वी/15 जिला खैरतपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	<p>मैंने आवेदक के विद्वान आधिवक्ता के तर्कों सुने एवं सरहती का परिशीलन किया।</p> <p>इस आधार पर यह पाता हूँ कि आवेदक की भूमि के सीमांकन में आवेदक का ज़ेला कहना सही ज़रूर है किन्तु ना तो आवेदक का सूचनापत्र में नाम है, ना उसका सूचनापत्र या पंचनामे में हस्ताक्षर है।</p> <p>आवेदक का कहना है कि वह सरहती खातेदार है।</p> <p>उपरोक्त के प्रकाश में प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं धारा 129 MPLRC के अधीन होने सरहती कचकों को सूचना एवं प्रसमर्पण का अवसर दिखाने संबंधी नियम का उल्लंघन पाया जाता है।</p> <p>अतः आदेशित सीमांकन पृष्ठ आवेदक दि. 10.5.15 स्थित 22व</p>	

(Handwritten signature)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>जाने योग्य नहीं पाया जाता और अपस्त किया जाता है।</p> <p>उक्त सीमांकन सरहदी भूपकों एवं खेती पत्रकारों को सही से पहचान कर सूचना एवं प्रसमर्पण का अवसर दिए जाने को उपरान्त किया जाए।</p> <p>कोटेशन परित।</p> <p>पत्रकार एवं तहसीलदार, मम्हागावां सूचित हो।</p> <p>प्रकारण समाप्त।</p> <p>द. द. हो।</p>	 (A. G. M.)

M